7.5.16

राजस्थान सरकार

(प्रपत्र – 8)

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़–शेखावाटी (सीकर)

धिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प रोहलसाहब सर

–: आदेश :–

स्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी रोहलसाहब व भू.अ.नि. 6/2015 की रिपोर्ट तथा ावाटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के ल्याणपुरा तहसील **रामगढ़–शेखावाटी** व जिला **सीकर** की जमाबन्दी 77 में खाता संख्या 49(नया) 47 पुराना में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
पुरा	49 नया 47 पुराना	महेन्द्रराम पुत्र रूपाराम जाति चमार	महेन्द्रराम पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल
रहन व अन्य प्रविष्टि यथावत दुरुस्त			

( )

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी रामगढ़–शेखावाटी (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी (सीकर)
लोक अदालत / कैम्प कोर्ट
ग्राम पंचायत रोहलसाहब सर

खावाटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना

दुराम पुत्र रूपाराम मेघवाल कल्याणपुरा को सूचनार्थ

( )

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी रामगढ़–शेखावाटी (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी (सीकर)
लोक अदालत / कैम्प कोर्ट
ग्राम पंचायत रोहलसाहब सर

प्राप्त किया